14.7.17 पत्रावली कोर्ट केम्प दरीबा पर पेश। वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 रा. का. अधि. वाद पत्र दिनांक 13.4.2010 को पेश किया गया जो दिनांक 13.1.2011 को स्वीकार किया गया।

वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दरीबा के खाता संख्या 83 पुराने 81 के आराजी न. 60 रकबा 18 बिस्वा आराजी नम्बर 61 रकबा 18 बिस्वा आ.न. 62 रकबा 0 बीघा 16 बिस्वा आ.न. 63 रकबा 0 बीघा 14 बिस्वा आ.न. 64 रकबा 0 बीघा 12 बिस्वा आ.न. 65 रकबा 0 बीघा 12 बिस्वा, आ.न. 66 रकबा 0 बीघा 15 बिस्वा कुल कित्ता 07 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा जो पायों के नाम पर अलोटमेन्ट हुई अलोटमेन्ट होने के बाद सवत् 2030 मे खातेदारी दर्ज हुई और उक्त जायदाद पर वादी का ही कब्जा है उक्त आराजियात राजस्व रकार्ड बन्दोबस्त जमाबंदी म 2030 से 2058 तक वादी के नाम दर्ज रहीं परन्तु

राजस्व रेकार्ड संवत 2059 से 2062 के मध्यवर्ती जमाबंदी में किन्तु किसी आधार के उक्त आराजीयात में वादी के नाम के साथ-साथ प्रतिवादी सं० 1 का नाम भी इन्द्राज कर दिया गया जब की वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कभी न तो जमीन बेची है न ही किसी प्रकार का स्थानान्तरण किया है और न ही प्रतिवादी सं० 1 का कब्जा है प्रतिवादी सं० 1 का नाम होने से उक्त भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम है।

अतः उक्त वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी सं० 1 का गलत इन्द्राज किया गया है जिसे हटाया जाकर वादी का नाम अंकन करें।

पत्रावली का प्रस्तुत दस्तावेज तहसीलदार कि रिपोर्ट का अवलोकन किया गया संवत से उक्त आराजियात में धोसा का नाम अंकित होने से धोसा प्रतिवादी सं० 1 की मृत होने से उस के वारिसान के नाम खाते में अंकित हो गए है

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम दरीबा के आराजी नम्बर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 किता 7 रकबा 10.10 बिस्वा में प्रतिवादीगण 1 से 9 के नाम विलोपित करें।

खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

आज दिनांक 14.7.2017 को कोर्ट कैम्प दरीबा पर सरेआम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फ़ास्ट ट्रेक) भीलवाडा कार्य कैम्प दरीबा

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति रेनु मीना आर0ए0एस0

उनवान

1. श्री धीसूलाल पिता हजारी बिश्नोई निवासी दरीबा

बनाम वादी

2. धीसा S/o लालू बिश्नोई फौतशुदा द्वारा वारिसान

1- श्रीमती हरकू पत्नी स्व. धीसा बिश्नोई निवासी दरीबा
2 श्री केशीराम पुत्र ———— " ————
3 " किशनलाल पुत्र ———— " ————
4 " नारायणलाल पुत्र ———— " ————
5 " देवीलाल पुत्र ———— " ————
6 " नन्दलाल पुत्र ———— " ————
7 श्रीमती कंकुबाई पुत्री ———— " ————
8 " मांगी पुत्री ———— " ————
9 श्री चुन्नीलाल पुत्र ———— " ————
10 तहसीलदार भीलवाडा
11 उप पंजीयक भीलवाडा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत– 88,89

मुकदमा नम्बर :– 154/08

निर्णय दिनांक :– 14.7.17

वादी की ओर से ....— की व प्रतिवादी की ओर से........—........ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी **श्रीमती रेणु मीना**) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा को आदेश किया जाता है कि ग्राम दरीबा के आराजी नम्बर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 किता 07 रकबा 10.10 बिस्वा मे प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के नाम विलोपित करें।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 14.7.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।